A-4/1

# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 44/2019

1. प्रहलाद पुत्र स्व. खेताराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. रामू पुत्र स्व. कजोड जाति माली निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. अशोक पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. बजरंगलाल पुत्र श्री बल्लाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. लालचन्द पुत्र श्री बल्लाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. रतनलाल पुत्र श्री मालाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. आशीष पुत्र श्री मालाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1/1 संतोष देवी पत्नि स्व0 नथमल, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
1/2 वेदप्रकाश पुत्र स्व0 नथमल, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
1/3 सुनील पुत्र स्व0 नथमल, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
1/4 चन्दा देवी पुत्री स्व0 नथमल पत्नि महेन्द्र, निवासी वार्ड नं. 35, कटारिया मौहल्ला, पिलानी, जिला झुंझुनूं।
1/5 अंजू देवी पुत्री स्व0 नथमल पत्नि मुकेश, निवासी ढेवा की ढाणी, पावर हाउस के पास, सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. नदनलाल पुत्र श्री मूंगाराम, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. सत्यनारायण पुत्र श्री मूंगाराम, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. सावित्री पुत्री मूंगाराम, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. विनोद पुत्र रामेश्वर, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. श्रवण पुत्र रामेश्वर, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. राखी पुत्री रामेश्वर, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. नीरा पुत्री रामेश्वर, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. नानूराम पुत्र श्री कजोड, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
10. मंजू पुत्री कजोड, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
11. भवरी देवी पत्नी कजोड, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
12. पुष्पा पत्नी पन्नालाल, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
13. माया पुत्री पन्नालाल, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
14. अनिता पुत्री पन्नालाल, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
15. कंचन पुत्री पन्नालाल, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
16. सरोज पुत्री पन्नालाल, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
17. नौरंगलाल पुत्र श्री मालाराम, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 40 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
18. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.08.2003 तहसीलदार महोदय, झुंझुनू नामान्तकरण संख्या 3306

1. श्री राधेश्याम सामरिया, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित
2. श्री जितेन्द्र निर्मल, एडवोकेट–रेस्पोडेन्ट सं0 1/1 लगायत 1/4 व 2, 3, 5 की ओर से।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी, एडवोकेट–रेस्पोडेन्ट सं0 10 व 12 लगायत 16 की ओर से।
4. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– राज्य सरकार ( रेस्पो0 सं0 18 ) की ओर से उपस्थित

## आदेश

**दिनांक 29.10.2021**

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश नामान्तरकरण संख्या 3306 दिनांक 29.08.2003 भूमि कस्बा झुंझुनूं के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में अपील अपीलान्ट्स के अनुसार वाके कस्बा झुंझुनूं की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 110 तादादी 46 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता पटवार हल्का झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनूं स्थित है। उक्त जमीन के दौराने पैमाइश हाल खसरा नम्बर निम्न प्रकार कायम हुए।

| हाल खसरा नम्बर | गत खसरा नम्बर | रकबा |
|---|---|---|
| 262 | 110मी | 1.35 हैक्टर |
| 263 | 110मी | 1.45 हैक्टर |
| 264 | 110मी | 1.66 हैक्टर |
| 265 | 110मी | 1.25 हैक्टर |
| 266 | 110मी | 1.70 हैक्टर |
| 267 | 110मी | 2.40 हैक्टर |
| 268 | 110मी | 2.05 हैक्टर |
| कुल खसरा – 7 | कुल रकबा 11.86 हैक्टर | |

उक्त भूमि के 1/2 हिस्से को यानि 23 बीघा 9 विश्वा को खेताराम ने कब्जा काश्त किया तथा उसके बाद उसने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि 1/2 हिस्से की 23 बीघा 9 बिश्वा को अपने पांचो पुत्रों कुरडाराम, खम्माराम, बल्लाराम, मालाराम व प्रहलाद को कब्जा काश्त करने के लिए संभला दी थी तब से लेकर आज इनके वारिसान बराबर लगातार शान्ति पूर्वक अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस अपने–अपने हक व हिस्से के मुताबिक कब्जा काश्त करते आ रहे है इस प्रकार गत खसरा नम्बर 110 की 1/2 हिस्से की उक्त भूमि 23 बीघा 9 बिश्वा पुख्ता कृषि भूमि के कुरडाराम, खम्माराम, बल्लाराम, मालाराम व प्रहलाद के कब्जे काश्त रहने से वे उक्त कृषि भूमि में उक्त हक हिस्सो के अनुसार रहने से वे उक्त कृषि भूमि के कानूनन खातेदार काश्तकार रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे नाम सिर्फ कुरडाराम के ही दर्ज था। कुरडाराम की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण मौके व कब्जा काश्त के अनुसार अमल दरामद किया जाना चाहिए परन्तु कुरडाराम के वारिसान बडे होशियार चतुर चालाक और आपराधिक किस्म के तेज तरार व्यक्ति थे जिन्होने राजस्व रिकॉर्ड का दुरूपयोग करते हुए उसका नाजायज फायदा लेने की बदनियती से सिर्फ अपने नाम मुंगाराम, नथमल, रामेश्वर के नाम नामान्तरकरण संख्या 3306 दर्ज करवा लिया जो स्वतः ही निरस्त है जबकि नामान्तरकरण कुरडाराम के वारिसान व अपीलान्ट्स के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने बिना किसी मौके की जांच व हल्का पटवारी से रिपोर्ट लिये बिना किसी विधिक औचित्य के नामान्तरकरण दर्ज करने की भारी कानूनी भूल की जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारो पर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है कि तहसीलदार महोदय, झुंझुनूं का आदेश खिलाफ कानून न्याय व विरूद्ध पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाईयो ने अपने पिता के नाम गलत रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड का फायदा अवैध रूप से उठाकर अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया और तहसीलदार महोदय ने बिना किसी मौके की जांच पड़ताल के बिना कब्जा काश्त के नामान्तरकरण संख्या 3306 स्वीकार कर लिया है। उक्त आराजी बाबत दावा संख्या 56/05 बाबत घोषणार्थ वटदारा स्थायी निषेधाज्ञा तथा एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 160/13 विचाराधीन है यह कि

जिला कलक्टर झुन्झुनू

A 5/3

उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 110 तदादी 46 बीघा 18 बिस्वा पुख्ता के 1/2 हिस्से को यानि 23 बीघा 9 बिस्वा को कुरडाराम, खम्माराम, बल्लाराम व प्रहलाद के कब्जे काश्त रहने से वे उक्त कृषि भूमि में उक्त हक हिस्सों के अनुसार रहने से उक्त कृषि भूमि के कानूनन खातेदार काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में नाम सिर्फ कुरड़ाराम के ही दर्ज था कुरडाराम की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण मौके व कब्जा काश्त के अनुसार कुरडाराम के वारिसान व खम्माराम, बल्लाराम, मालाराम व प्रहलाद के नाम अमल दरामद किया जाना चाहिए तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने उक्त तमाम तथ्यों को नजर अंदाज कर नामान्तरकरण संख्या 3306 दर्ज करने में भारी कानूनी भूल की है। तहसीलदार महोदय, झुंझुनूं ने हल्का पटवारी से कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की, बिना कब्जा काश्त व रिपोर्ट लिए अपनी तरफ से तहसीलदार महोदय, झुंझुनूं ने कब्जा काश्त की कोई जांच पडताल किये बिना ही तहसीलदार झुंझुनूं ने सिर्फ कुरडाराम के वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया है। मौके पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट का उक्त विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 110 रकबा 46 बीघा 18 बिश्वा में से 1/2 हिस्से यानि 23 बीघा 9 बिस्वा पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स 9 लगायत 17 का लगातार बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 17 खसरा नम्बर गत 110 रकबा 23 बीघा 9 बिश्वा पर अपने अपने हक हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त व आबाद है उक्त तमाम तथ्यों पर गौर फरमाये वगैर तहसीलदार महोदय ने बिना अपीलान्टस के हक अधिकारो को ध्यान में रखे विधि विरूद्ध रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। अतः श्रीमानजी की सेवामें अपील पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार महोदय का आदेश दिनांक 29.08.2003 नामान्तरकरण संख्या 3306 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 17 के गत खसरा नम्बर 110 रकबा 46 बीघा 18 बिश्वा में 1/2 हिस्से का यानि 23 बीघा 9 बिश्वा का नामान्तरकरण राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने लिखित बहस पेश कर अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि तहसीलदार झुंझुनूं का आदेश खिलाफ कानून, न्याय व विरुद्ध पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व उसके भाइयों ने अपने पिता के नाम गलत रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड का फायदा अवैध रूप से उठाकर अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया और तहसीलदार झुंझुनूं ने बिना किसी मौके की जांच पडताल के बिना कब्जा काश्त के नामान्तरकरण संख्या 3306 स्वीकार कर लिया। उक्त आराजी बाबत दावा सं0 56/2005 बाबत घोषणार्थ बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा तथा एक प्रार्थना पत्र संख्या 160/2013 विचाराधीन है। उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 110 तादादी 46 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता के 1/2 हिस्से को यानि 23 बीघा 9 बिश्वा को कुरडाराम, खम्माराम, बल्लाराम, मालाराम व प्रहलाद के कब्जे काश्त रहने से वे उक्त कृषि भूमि मे उक्त हक हिस्सों के अनुसार रहने से उक्त कृषि भूमि के कानूनन खातेदार काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे नाम सिर्फ कुरडाराम के ही दर्ज था। कुरडाराम की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण मौके व कब्जा काश्त के अनुसार कुरडाराम के वारिसान व खम्माराम, बल्लाराम, मालाराम व प्रहलाद के नाम अमल दामद किया जाना चाहिए तहसीलदार झुंझुनूं ने उक्त तमाम तथ्यों को नजर अंदाज कर नामान्तरकरण संख्या 3306 दर्ज किया है जो काबिले निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार झुंझुनूं ने हल्का पटवारी से कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की। बिना कब्जा काश्त व रिपोर्ट लिए अपनी तरफ से तहसीलदार झुंझुनूं ने कब्जा काश्त की कोई जांच पडताल किये बिना ही तहसीलदार झुंझुनूं ने सिर्फ कुरडाराम के वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया है जो काबिले निरस्त होने योग्य है। मौके पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स का उक्त विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 110 रकबा 46 बीघा 18 बिश्वा मे से 1/2 हिस्से यानि 23 बीघा 9 बिश्वा पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स सं0 9 लगायत 17 का लगातार बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 17 खसरा नम्बर गत 110 रकबा 23 बीघा 9 बिश्वा पर अपने–अपने हक हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त व आबाद है उक्त तमाम तथ्यों पर गौर फरमाये बगैर तहसीलदार झुंझुनूं ने बिना अपीलान्ट्स के हक अधिकारों को ध्यान मे रखे विधि विरूद्व रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। फरीकारान् ने दिनांक 29.08.2013 को मुकदमेबाजी से बचने हेतु तथा परिवार को बेवजह से मुकदमेबाजी से बचाने के सद्भावक उद्देश्य से एक लिखावट यादास्त मौखिक पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा बाबत की गई जो वक्त जरूरत काम आवे एवं सबूत रहे। अतः लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार झुंझुनूं को आदेश दिनांक 29.08.2003 नामान्तरकरण संख्या 3306 निरस्त

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

करवाया जाकर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 17 के गत खसरा नम्बर 110 रकबा 46 बीघा 18 बिश्वा मे 1/2 हिस्से का यानि 23 बीघा 9 बिश्वा का नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1/1 लगायत 1/4 व 2, 3, 5 ने दस्तावेज सूची किता 3 पेश कर वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि का सारा रिकार्ड कुरडाराम के नाम से है। अपीलान्ट 14 साल बाद अपील पेश कर रहे है जो मियाद से बाहर है। प्रकरण मे नीचली अदालतो मे अपीलान्ट के दावे व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र खारिज हो चुके है। अपीलान्टे नीचली अदालत मे उपस्थित नही आये थे। विवादित जमीन 75 साल से हम रेस्पोडेन्ट के नाम से है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 10 व 12 लगायत 16 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि खेताराम के 5 पुत्र थे। कुरडाराम खेताराम के 5 पुत्रों मे से एक था जिसने बडा पुत्र होने का फायदा उठाते हुए सम्पूर्ण जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्टस द्वारा अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण संख्या 3306 आदेश दिनांक 29.08.2003 के विरूद्ध अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्नप्रकार से है :–

1. अपीलान्टस् द्वारा नामान्तकरण संख्या 3306 पर पारित आदेश दिनांक 29.08.2003 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 17.07.2019 को प्रस्तुत की है। यानि लगभग 17 वर्ष की देरी के बाद प्रस्तुत की है। इस संबंध में अपीलान्ट ने कोई उचित तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट का स्वयं का तर्क रहा है उनके व रेस्पोडेन्टस के बीच न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के यहां वाद संख्या 56/05 विचाराधीन रहा है, इससे साफ है कि अपीलान्टस को उक्त नामान्तकरण की जानकारी प्रारम्भ से रही है। अपीलान्टस द्वारा नामान्तकरण की जानकारी होने के बावजूद इतने लम्बे बाद अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को नरजअन्दाज नहीं किया जा सकता है।
2. प्रकरण में अपीलान्टस ने कुरड़ाराम को भाई मानते हुये अपने आप को खेताराम का वारिस बताया है। अपीलान्टस द्वारा अपील नामान्तरकरण संख्या 3306 आदेश दिनांक 29.08.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तकरण कुरड़ाराम के फौत हो जाने पर उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। यदि अपीलान्टस को विवादित आराजी के संबंध में अपने हकूक की बाबत चाराजोही करनी है तो उन्हे खेताराम के देहान्त के बाद कुरड़ाराम के नाम खातेदारी दर्ज होने वाले नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी।
3. उक्त तथ्यों के मध्यनजर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अपीलान्टस द्वारा न तो अपील समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है और न ही अपीलान्टस ने अपने हकूको की चाराजोही हेतु सही आदेश को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। अपील अपीलान्टस में कोई फोर्स नहीं है।
4. अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
29/10/21

( उमर दीन खान )
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं